HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Petition No. 345/2026

Sukhveer Son of Shri Brijlal Gadwal, Age about 31 Years, Resident of Village- Ward No. 1, Chimna Ram ki Dhani, Bhorki, Via Gudha, District Jhunjhunu (Raj.), Present as Chairman, Shri Jamuvay Mata Vikas Samiti, Bhorki, District Jhunjhunu (Raj.)

----Accused/Petitioner

Versus

1. The State of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. The Superintendent of Police, Jhunjhunu (Raj.)
3. The Station House Officer, Police Station Gudha, District-Jhunjhunu (Raj.)

----Respondents

4. Anil Kumar son of Karniram, Age about 31 Years, Village-Todi, Police Station Gudhagodji, District Jhunjhunu (Raj).

----Complainant/Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Babu Lal Nasuna, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, Addl.G.A. Mr. Gaurav Gupta, Asst. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Order

27/02/2026

1. याची–अभियुक्त की ओर से उक्त एकलपीठ आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा **528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **274/2025,** पुलिस थाना– **गुढ़ा,** जिला– **झुन्झुनू,** अपराध अंतर्गत धारा **115(2), 126(2), 127(2), 189(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(1)(r), 3(1)(s) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989** एवं उससे उद्भूत समस्त कार्यवाही को रद्द एवं अपास्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है, साथ ही **स्थगन प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है।

2. तीन सप्ताह की वापसी के साथ अचायीगण को नोटिस जारी किए जावें, विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, अयाची संख्या–01 लगायत 03 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

3. विद्वान् अधिवक्ता याची–अभियुक्त का तर्क है कि प्रस्तुत मामले में याची–अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है, उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–

274/2025 में मिथ्या रूप से संलिप्त किया जा रहा है, उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है, उनका कथन है कि याची–अभियुक्त की ओर से परिवादी के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गई थी, जिससे बचने के लिए उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गई है, उनका कथन है कि याची–अभियुक्त को प्रकरण में सहअभियुक्तगण के कथनों के आधार पर संलिप्त किया जा रहा है, उसकी इस प्रकरण में कोई भूमिका (रोल) नहीं है, उनका यह भी कथन है कि याची–अभियुक्त अन्वेषण में भाग लेने के लिए तैयार एवं तत्पर है, किन्तु पुलिस उसे गिरफ्तार करने पर आमादा है, अतः याची–अभियुक्त को उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के संदर्भ में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जावे।

4. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने उचित आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की।

5. मैंने पत्रावली का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

6. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत तर्कों आदि को दृष्टिगत रखते हुए याची–अभियुक्त को न्यायहित में आदेश दिया जाता है कि यदि वह दिनांक **13.03.2026** को या उससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अनुसंधान में भाग ले तो उसके विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **274/2025** के संदर्भ में आगामी तिथि तक कोई बलपूर्वक कार्यवाही (**No Coercive Action**) नहीं की जावे, याची–अभियुक्त के उक्त तिथि तक अनुसंधान हेतु उपस्थित नहीं होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

7. अनुसंधान अधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में आवश्यक अनुसंधान कर आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे।

8. प्रकरण **तीन सप्ताह** पश्चात् सूचीबद्ध किया जावे।

(BHUWAN GOYAL),J

AKSHAY KUMAR PAREEK /36